



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

अधिसूचना

एतद्वारा जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर के पत्रांक-61/पि0व0क0/छा0/2020-21 दिनांक-24 जुलाई, 2020 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय


कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 156 /सूचना/2020

दिनांक- 27/07/2020

प्रतिनिधि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्पादक महोदय- अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।


कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

सेवार्थे,

1. कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलनरसु सिद्धार्थनगर।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक,
सिद्धार्थनगर।
3. पब्लिक/प्राचार्य/पद्यानाचार्य, समस्त शिक्षण संस्थाओं,
जनपद-सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 61 / पि०प०क०/छा०/2020-21

दिनांक 24 जुलाई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात् ही आलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में छात्रों का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाइन कराया जायेगा। उक्त डाटा का UIDAI से मिलान होने के पश्चात् छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से आनलाइन फाइनल सबमिट हो सकेगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकते हैं, जिनके शुद्धिकरण कराये जाने की आवश्यकता छात्रों की होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों, उनके माता-पिता व शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना आवश्यक है, ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है, तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से समयान्तर्गत शुद्ध करा लिया जाये।

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 से आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है, इस हेतु आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित की जानी प्रस्तावित है। इसलिए छात्र/छात्राओं द्वारा भरे आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात् आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओटीपी भेजा जायेगा। उक्त ओटीपी को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त छात्र द्वारा आनलाइन सबमिट किया जा सकेगा।

उपर्युक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही समयान्तर्गत किया जाना आवश्यक होगा:-

1. सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक /सीडेड करा लेना चाहिए।
3. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अपना नाम तथा अपने माता-पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।

4. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यो का समयान्तर्गत क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठाकंन सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—निम्नवत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. लीड बैंक मैनेजर, सिद्धार्थनगर को उपरोक्तानुसार आधार अपडेशन के लिए नामित बैंक शाखाओं को यथावश्यक छात्रों के लिए सुविधाजनक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।
5. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को छात्र/छात्राओं के हित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

21/7/2020
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।